वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2016-फाल्गुन 28, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT INDORE

(Original Company Jurisdiction)

Company Petition No. 15/2015, Connected with

Company Application No. 06/2015

In the matter of The Companies Act, 1956.

AND

In the matter of Scheme of Amalgamation of M/s. Printronix Engineers Private Limited., with M/s. Vikas Protech Private Limited., under Section 391-394 of the Companies Act, 1956

And

In the matter of

M/s. Printronix Engineers Private Limited.,
Haiving registered office at 29/1, L.I.G. Colony, A. B. Road.,
Indore- 452 008. (M.P.) .....Petitioner / Transferor Company

M/s. Vikas Protech Private Limited.,

Having registered office at 9-11, Electronics Complex,

Pardeshipura, Indore- 452 010. (M.P.) .....Petitioner / Transferee Company

NOTICE OF PETITION

A petition under Section 391-394 of the Companies Act, 1956 for obtaining sanction of the Hon'ble

High Court to the scheme of amalgamation of M/s. Printronix Engineers Private Ltd., (Transferor Company) with M/s. Vikas Protech Private Limited., (Transferee Company) was presented by the petitioners above named on 8th day of July, 2015 and the said petition is fixed for hearing before the Company Judge on 10th May, 2016.

Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioner's advocate, notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later than 2 days before the date fixed for the hearing of the petition. Where, he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition shall be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Indore,
Dated 02nd March, 2016.

Sd/- AJAY MISHRA,
Advocate for Petitioners,
201-202, D.M.Tower,
Race Course Road, Indore.

(683-B.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम SHAKEEL MOHD था. जिसे बदलकर SHAKEEL MOHAMMAD NAZMI कर दिया गया है. मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम :	नया नाम :
	(शकील मोहम्मद नाज़मी)
(SHAKEEL MOHD)	**(SHAKEEL MOHAMMAD NAZMI)**
	मलाज खण्ड

(676-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, सरला गुप्ता पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, पता राधिका अग्रहरी, गोपाल टायर-मेन रोड, सिंगरौली, पंजरेह बाजार, पोस्ट ऑफिस सिंगरौली कॉलरी, सीधी, जिला सिंगरौली (म.प्र.) पिन-486889 अपना नाम बदलकर सरला अग्रहरी कर दी हूँ. अब मेरे सभी कागजात, दस्तावेज एवं रिकार्ड में मेरा नाम सरला गुप्ता की जगह सरला अग्रहरी ही माना जावे. दोनों नाम मेरे ही हैं. यदि भविष्य में नाम परिवर्तन से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी.

पुराना नाम :	नया नाम :
(सरला गुप्ता)	**(सरला अग्रहरी)**
पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता.	पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता.

(677-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, दीपा गुप्ता पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, पता रामजी क्लॉथ हाउस/स्टोर सिंगरौली पंजरेह बाजार, पोस्ट ऑफिस सिंगरौली कॉलरी, सीधी, जिला सिंगरौली (म.प्र.) पिन-486889 अपना नाम बदलकर दीपा अग्रहरी कर दी हूँ. अब मेरे सभी कागजात, दस्तावेज एवं रिकार्ड में मेरा नाम दीपा गुप्ता की जगह दीपा अग्रहरी ही माना जावे. दोनों नाम मेरे ही हैं. यदि भविष्य में नाम परिवर्तन से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी.

पुराना नाम :	नया नाम :
(दीपा गुप्ता)	**(दीपा अग्रहरी)**
पुत्री-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता.	पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता.

(678-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा विवाह पूर्व नाम रजनी चावला पुत्री श्री घनश्यामदास चावला था. मेरा विवाह दिनांक 11-12-1996 को श्रीचंद रोहिरा पुत्र श्री हरीराम रोहिरा से होने के फलस्वरूप सिंधी समाज के रीतिरिवाजों अनुसार मेरा नाम अंजलि रोहिरा पत्नि श्रीचंद रोहिरा हो गया है. भविष्य में इसी नाम से जानी-पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :

(रजनी चावला)

पुत्री श्री घनश्यामदास चावला.

नया नाम :

(अंजलि रोहिरा)

पत्नि श्री श्रीचन्द रोहिरा,
B-2, गुलमोहर आपर्टमेन्ट, डॉ. कॉलोनी,
ईदगाह हिल, भोपाल.

(679-बी.)

नाम परिवर्तन

विवाह के पूर्व मेरा नाम निर्मला पिता तुकाराम पाटील था. मेरा विवाह अनिल चौधरी, निवासी-बौरसर, जिला बुरहानपुर के साथ होने के पश्चात् से मैंने अपना नाम सुरेखा पति अनिल चौधरी कर लिया है. मुझे व्यक्तिगत रूप से एवं शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में भी मेरे नये नाम सुरेखा पति अनिल चौधरी के नाम से जाना-पहचाना एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(निर्मला)

पिता तुकाराम पाटील.

नया नाम :

(सुरेखा)

पति अनिल चौधरी.

(680-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मेघना घांवरी है जो कि मेरे वर्तमान के समस्त दस्तावेजों में लिखा है, शादी के पूर्व मेरा नाम हेमलता पिता बाबुलाल जी था. जो कि शादी के बाद मेरे द्वारा बदल दिया गया है. अत: अब से मुझे मेरे पति व बच्चों के समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती मेघना पति सुरज कुमार घांवरी के नाम से जाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(हेमलता)

पिता बाबुलाल जी.

नया नाम :

(मेघना घांवरी)

पति सुरज कुमार घांवरी,
निवासी—म. नं. 112, पुरानी नगरपालिका,
नीमच, जिला नीमच.

(681-बी.)

भागीदारी में संशोधन की सूचना

फर्म मेसर्स माँ चंडी निर्माण कम्पनी, चंडी जी वार्ड हटा, जिला दमोह (म.प्र.) भागीदारी फर्म का गठन दिनांक 13-07-2006 को किया गया, जिसमें निम्न पार्टनर थे- (1) श्री प्रीतम राय, (2) श्री जयकांत राय, (3) श्री सुनील राय, (4) श्री रामनाथ राय दिनांक 31-03-2012 को भागीदारी फर्म में संशोधन किया गया जिसमें श्री रामनाथ राय स्वेच्छा से भागीदारी फर्म से अलग हो गये.

सभी सर्व संबंधित को सूचित हों.

CHARANJEET SINGH WADHWA,
Notary/Advocate
Damoh, Disst. Damoh (M.P.).

(682- B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विजय कन्स्ट्रक्शन कम्पनी में प्रहलाद चौकसे पिता सिद्धनाथ चौकसे 21-07-2010 को भागीदारी से हट गये हैं एवं इनकी जगह (1) कमलेश चौकसे पिता बुद्धेश्वर चौकसे 21-07-2010, (2) अमित चौकसे पिता भीमसेन चौकसे 21-07-2010 एवं (3) अजय चौकसे पिता लखनलाल चौकसे 22-07-2010 नये भागीदार जुड़ गये हैं.

विजय कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
हरिश चौकसे,
पता—244-ए, वीणा नगर, सुखलिया,
इन्दौर (म.प्र.).

(684-बी.)

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेसर्स पन्ना एल. पी. गैस सर्विस जो एक 30-11-1999 से पार्टनरशिप फर्म थी. जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर एस.एफ.75 है, जो कि दिनांक 21-11-2015 से फर्म के एक पार्टनर श्री नन्द किशोर चौदहा के रिटायर्ड होने से भंग की जाती है.

मेसर्स पन्ना एल. पी. गैस सर्विस,
लोकेन्द्र प्रताप सिंह,
स्व. श्री उदय प्रताप सिंह,
(प्रबंधक)
दुकान नम्बर 24, हास्पिटल रोड,
पन्ना (म.प्र.).

(685-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is inform that **M/S JKM INVESTMENT,** having its office at 1, Village Kumerdi, Near MR -10, Aurbindo Hospital Sanwer, Indore (M.P.), a partnership firm incorporated on Dated 3rd December, 2014, having Eight partners namely (1) JKM Investment P. Ltd., (2) Annapurna Modi, (3) Aditya Modi, (4) Naman Apartments (P) Ltd., (5) Swan Apartments (P) Ltd., (6) Karan Modi, (7) Vedant Modi, (8) Ligripookrie Tea Company (P) Ltd. With mutual consent of all the partners and governed by **Retirement Deed** Dated 31st December, 2015, JKM Investment P. Ltd. retired as Partner from the Firm. Further by an **Admission Deed** Dated 27th February, 2016 Smt. Mona Modi, Ms. Ramya Modi and Ms. Dhriti Modi are new partners admitted into the Partnership Firm. Presently **Ten Partners** are partners in the firm.

The Public Notice is being published for the purpose of information to be given to office of Registrar of Firms and Society.

JKM INVESTMENT,
ADITYA MODI,
(Partner).

(686- B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स इंफ्रा डेबलपर्स छत्री रोड, शिवपुरी (म.प्र.) ने दिनांक 01-04-2010 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 4 श्रीमति सुषमा शर्मा पत्नि श्री हरिवल्लभ शर्मा, आयु-43 वर्ष, निवासी-दीनदयाल नगर, ग्वालियर व पक्षकार क्रमांक 5 श्रीमति प्रीति चतुर्वेदी पत्नि श्री अतुल कुमार चतुर्वेदी, आयु 43 वर्ष, निवासी-86, गोविंदपुरी, ग्वालियर व पक्षकार क्रमांक 6 श्री कुमेन्द्र तिवारी पुत्र श्री राम गोपाल तिवारी, आयु 35 वर्ष, निवासी जबाहरगंज, डबरा, जिला ग्वालियर तथा पक्षकार क्रमांक 7, श्री राम गोपाल तिवारी पुत्र श्री शिवचरन लाल तिवारी, आयु 64 वर्ष, निवासी जबाहरगंज, डबरा, जिला ग्वालियर जो कि इस फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं.

फर्म से पृथक् हुए पक्षकार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताविक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स इंफ्रा डेबलपर्स,
बालमुकंद शर्मा,
(पार्टनर).

(687-बी.)

सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म निर्मला मिनरल्स, खितौला बाजार, सिहोरा (म.प्र.) के भागीदार श्रीमति निर्मला पाठक पत्नी श्री सत्येन्द्र पाठक दिनांक 28-07-2015 से फर्म में भागीदार बनायी गई है एवं श्री आनन्द कुमार पाठक आत्मज श्री विश्वम्भर प्रसाद पाठक फर्म से दिनांक 28-07-2015 से निवृत (मुक्त) हुये.

निर्मला मिनरल्स,
सत्येन्द्र पाठक,
(भागीदार)
पाठक वार्ड, कटनी (म.प्र.)
वास्ते—**शिवकुमार विश्वकर्मा,**
(अधिवक्ता).

(688-बी.)

सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म आनन्द मांइनिग कारपोरेशन, खितौला बाजार, सिहोरा (म.प्र.) के भागीदार श्री वरून कुमार गौतम आत्मज श्री राजेन्द्र कुमार गौतम, दिनांक 26-08-2015 से फर्म में भागीदार बनाये गई हैं एवं श्री संजय पाठक आत्मज श्री सत्येन्द्र पाठक फर्म से दिनांक 26-08-2015 से निवृत (मुक्त) हुये.

आनन्द मांइनिग कारपोरेशन,
सत्येन्द्र पाठक,
(भागीदार)
पाठक वार्ड, कटनी (म.प्र.).
वास्ते—**शिवकुमार विश्वकर्मा,**
(अधिवक्ता).

(689-बी.)

सूचना

सूचित किया जाता है कि दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से फर्म मैसर्स आनंद सिंह बघेल में 5 नए पार्टनरों को शामिल किया गया है उक्त फर्म में जोड़े गये पार्टनरों में अरूण राय, सुजीत जायसवाल, धर्मेन्द्र जैन, राजेश साहू एवं रमेश सिंह चौहान का समावेश किया गया.

फर्म-मैसर्स आनंद सिंह बघेल,
संजय भारद्वाज,
(भागीदार).
सिवनी.

(690-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

बड़वानी, दिनांक 02 मार्च, 2016

क्र./डाईट/2016/1370.—जिला चिकित्सालय बड़वानी के आंतरिक रोगी विभाग में भर्ती होने वाले मरीजों को प्रदाय किये जाने वाले भोजन हेतु खाद्य सामग्री अपेक्षित वर्ग ''अ'' ''ब'' ''स'' ''द'' वर्ग के लिए स्थानीय स्तर के खाद्य सामग्री विक्रेताओं से दिनांक 01-04-2016 से 31-03-2017 तक सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है. निविदाएं विभिन्न वर्गों के लिए पृथक्-पृथक् सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाना है.

निविदाएं अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 22 मार्च, 2016 तक दिन के 3.00 बजे तक पहुँच जाना चाहिए. निर्देशित दिनांक एवं समय पश्चात् निविदा ग्रहण नहीं की जावेगी.

खाद्य सामग्री की सूची एवं निविदा से संबंधित शर्तें दिनांक 21 मार्च, 2016 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है. निविदा फार्म की राशि पृथक्-पृथक् वर्ग के लिए रुपये 260/- शासकीय कोषालय में शीर्ष मद ''0210 मेडिकल व अन्य प्रतियाँ'' में चालान से जमा की जाना होगी. चालान फार्म कार्यालय में जमा करने पर ही निविदा फार्म एवं शर्तें दी जावेंगी. निविदा फार्म दिनांक 21 मार्च, 2016 तक कार्यालयीन समय में वितरित किये जावेंगे.

अनिता सिंगारे,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला बड़वानी.

(201)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीकरण अधिकारी, श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 03 दिसम्बर, 2015

लोक न्यासों के पंजीयक श्योपुर, जिला श्योपुर के समक्ष.

यत: कि विष्णुशंकर गौड पुत्र गप्पूलाल, निवासी-कस्वा श्योपुर, तहसील श्योपुर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 04 जनवरी, 2016 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

संबंधित सम्पत्ति की अनुसूची :- लोक न्यास का नाम श्री आदि गौड (सलावट) ब्राहम्ण समाज श्योपुर है तथा सम्पत्ति ग्राम सलापुरा स्थित भूमि सर्वे क्र. 243/3 रकवा 0.052 हैक्टर, सर्वे क्र. 257/1 मि. 1 रकवा 0.021 हैक्टर, सर्वे क्र. 259 रकवा 0.178 हैक्टर किता 3 कुल रकवा 0.251 हैक्टर जिस पर समाज की धर्मशाला व छात्रावास का निर्माण प्रस्तावित है.

राकेश कुमार दुबे,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(197)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, मझगवां, जिला सतना

प्रारूप क्र.-4

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक अनुभाग मझगवां, जिला सतना के समक्ष.

आवेदक श्री अवध किशोरदास मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीरामधाम बड़ा मंदिर चित्रकूट ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 28 मार्च, 2016 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता एवं सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता	:	श्रीरामधाम बड़ा मंदिर चित्रकूट.
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम रजौला की आ. नं. 15, 16/1, 16/3, 17/1, 56/2/क/1/15/1, कुल रकबा 0.459 हे.
2. चल सम्पत्ति	:	3,23,450/- (तीन लाख, तेईस हजार, चार सौ पचास, सामग्री के रूप में).

प्रारूप-5

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक अनुभाग मझगवां, जिला सतना के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, दीपक कुमार वैद्य, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मझगवां एवं पंजीयक, लोक न्यास मझगवां, जिला सतना, लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 28 मार्च, 2016 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास की सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से 01 माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

दीपक कुमार वैद्य,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(198)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधि. (राजस्व), दमोह

प्र.क्र.-बी/113(1)/2015-16. दमोह, दिनांक 27 जनवरी, 2016

प्रारूप-4

[देखें नियम-6(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियमानुसार (1) के द्वारा]

न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास, जिला-दमोह क्रमांक क/सं न्यास/2016.

यहकि श्री सांई बाबा शिरडी वाले बेलाताल, द्वितीय टापू मंदिर सार्वजनिक न्यास, दमोह, तहसील व जिला-दमोह द्वारा पं. बिहारी लाल गौतम, नया बाजार नं. 2 पलंदी चौराहा, दमोह. अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एवं आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री सांई बाबा शिरडी वाले द्वितीय टापू, सार्वजनिक न्यास, जटाशंकर मार्ग दमोह, तहसील व जिला-दमोह.
चल सम्पत्ति	:	73,500/-.

राकेश कुशरे,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(199)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-पुनासा, जिला खण्डवा

प्र.क्र. /बी-113(1)/2015-16.

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं
मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

जैसा कि आवेदिका श्रीमती ओमना सेवियर पति श्री मोसस सेवियर, निवासी पुनासा, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा द्वारा संत जोसेफ मेमोरियल फाउंडेशन पुनासा, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एकआवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता.	:	संत जोसेफ मेमोरियल फाउण्डेशन, पुनासा तहसील पुनासा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश.
चल सम्पत्ति	:	निरंक.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 को जारी

बी. कार्तिकेयन,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(214)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी, 2016

क्र. E/1129 A .—राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा प्रकाशित इंडियन लॉ रिपोर्ट्स (म.प्र. सीरीज) के मूल्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप पुनरीक्षित करते हुए इंडियन लॉ रिपोर्ट्स (म.प्र. सीरीज) की एक प्रति का मूल्य 50/- रु. (पचास रुपये) एवं वार्षिक अभिदान 550/- रु. (पांच सौ पचास रुपये) निर्धारित करता है. यह मूल्यवृद्धि वर्ष 2016 के संस्करणों के प्रकाशन से लागू होगी.

संजीव सिंह,
नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(215)

कार्यालय परिसमापक श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 22 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/108.—श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./एस.पी.आर./118, दिनांक 15 मार्च, 2011 है को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/466, श्योपुर, दिनांक 05 जुलाई, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मैं, आर. के. गांगिल, सहकारी निरीक्षक, जिला श्योपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण के कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखापुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे एवं संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 21 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

आर. के. गांगिल,
परिसमापक.

(202-A)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल, संभाग भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2016

संशोधित आदेश

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/340.—जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., सीहोर के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./2016/273, भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2016 के पैरा क्रमांक 4 में टंकण त्रुटि के कारण हुई त्रुटियों का सुधार निम्नानुसार किया जाता है:-

1. आदेश के चतुर्थ पैराग्राफ में तृतीय पंक्ति में "एवं 69-ए/क" को विलोपित किया जाता है.

2. उक्त पैरा की अंतिम पंक्ति में मध्यप्रदेश राज्यपत्र के स्थान पर राजपत्र पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के तहत् मुझे प्रत्यायोजित पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह संशोधन आदेश आज दिनांक 23 फरवरी, 2016 को जारी किया गया जो कि मूल आदेश का भाग होगा.

(203)

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2016

संशोधित आदेश

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/341.—जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., विदिशा के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./2016/271, भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2016 के पैरा क्रमांक 4 में टंकण त्रुटि के कारण हुई त्रुटियों का सुधार निम्नानुसार किया जाता है:-

1. आदेश के चतुर्थ पैराग्राफ में तृतीय पंक्ति में ''एवं 69-ए/क'' को विलोपित किया जाता है.

2. उक्त पैरा की अंतिम पंक्ति में मध्यप्रदेश राज्यपत्र के स्थान पर राजपत्र पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के तहत् मुझे प्रत्यायोजित पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह संशोधन आदेश आज दिनांक 23 फरवरी, 2016 को जारी किया गया जो कि मूल आदेश का भाग होगा.

(203-A)

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2016

संशोधित आदेश

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/342.—जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., रायसेन के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./2016/272, भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2016 के पैरा क्रमांक 4 में टंकण त्रुटि के कारण हुई त्रुटियों का सुधार निम्नानुसार किया जाता है:-

1. आदेश के चतुर्थ पैराग्राफ में तृतीय पंक्ति में ''एवं 69-ए/क'' को विलोपित किया जाता है.

2. उक्त पैरा की अंतिम पंक्ति में मध्यप्रदेश राज्यपत्र के स्थान पर राजपत्र पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के तहत् मुझे प्रत्यायोजित पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह संशोधन आदेश आज दिनांक 23 फरवरी, 2016 को जारी किया गया जो कि मूल आदेश का भाग होगा.

(203-B)

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2016

संशोधित आदेश

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/343.—जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., राजगढ़ के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./2016/274, भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2016 के पैरा क्रमांक 4 में टंकण त्रुटि के कारण हुई त्रुटियों का सुधार निम्नानुसार किया जाता है:-

1. आदेश के चतुर्थ पैराग्राफ में तृतीय पंक्ति में ''एवं 69-ए/क'' को विलोपित किया जाता है.

2. उक्त पैरा की अंतिम पंक्ति में मध्यप्रदेश राज्यपत्र के स्थान पर राजपत्र पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के तहत् मुझे प्रत्यायोजित पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह संशोधन आदेश आज दिनांक 23 फरवरी, 2016 को जारी किया गया जो कि मूल आदेश का भाग होगा.

(203-C)

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2016

संशोधित आदेश

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/344.—जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भोपाल के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./2016/270, भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2016 के पैरा क्रमांक 4 में टंकण त्रुटि के कारण हुई त्रुटियों का सुधार निम्नानुसार किया जाता है:-

1. आदेश के चतुर्थ पैराग्राफ में तृतीय पंक्ति में ''एवं 69-ए/क'' को विलोपित किया जाता है.

2. उक्त पैरा की अंतिम पंक्ति में मध्यप्रदेश राज्यपत्र के स्थान पर राजपत्र पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के तहत् मुझे प्रत्यायोजित पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह संशोधन आदेश आज दिनांक 23 फरवरी, 2016 को जारी किया गया जो कि मूल आदेश का भाग होगा.

आर. के. शर्मा,
संयुक्त पंजीयक.

(203-D)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/368.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्याखुर्द, पंजीयन क्रमांक 1404, दिनांक 28 फरवरी, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है. इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्याखुर्द, पंजीयन क्रमांक 1404, दिनांक 28 अगस्त, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. के. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(193-E)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/369.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पारीदीखेडा, पंजीयन क्रमांक 1194, दिनांक 31 जनवरी, 2008 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है. इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पारीदीखेडा, पंजीयन क्रमांक 1194, दिनांक 31 जनवरी, 2008 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. के. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(193-F)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/370.— ब्रहम शक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., बागली, पंजीयन क्रमांक 1002, दिनांक 10 जनवरी, 2002 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-49 (8)(2)(ख) के अन्तर्गत संचालकों के पद स्वत: रिक्त माने जाकर श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. प्रभारी अधिकारी द्वारा संस्था के बंद होने की सूचना देने पर दिनांक 28 जनवरी, 2016 को कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. जिसके अनुसार उपस्थिति दिनांक 15 फरवरी, 2016 तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा रुचि लिये जाना प्रतीत हुआ है. इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया

गया था परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपथित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्रहम शक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., बागली, पंजीयन क्रमांक 1002, दिनांक 10 जनवरी, 2002 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(193-G)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/371.— भास्कर प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 1374, दिनांक 08 जून, 2013 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दी गयी है. इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था परंतु निर्धारित दिनांक 11 फरवरी, 2016 को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भास्कर प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 1374, दिनांक 08 जून, 2013 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. आर्य, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(204)

देवास, दिनांक 23 फरवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,

(अधोलिखित संस्थाएं)

(द्वारा :- संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष)

क्र./परि./2016/432.—निर्वाचन कक्ष द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2016 को अवगत कराया गया है कि अधोलिखित संस्थाओं को पंजीयन के पश्चात् 120 दिवस में निर्वाचन कराने के लिये निर्देशित किया गया था. परन्तु उक्त संस्थाओं द्वारा पंजीयन के पश्चात् आज दिनांक तक निर्वाचन कराने के लिये आवेदन नहीं किया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधनियम, 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था उनकी पूर्ति पंजीयन दिनांक से नहीं की जा रही है. ऐसी संस्थाओं की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1.	2.	3.
1.	जन सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., देवास	1378/13-09-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलाखेडा	1380/18-12-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उपडीहार	1381/18-12-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवला	1390/13-01-2014
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., प्रतापगढ़	1413/11-03-2014

1.	2.	3.
6.	मॉ जय जय अम्बे मत्स्य सह. संस्था मर्या., किलोदा बी	1478/05-09-2014
7.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमली	1490/07-10-2014
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुनवानीकराड	1523/28-10-2014
9.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलकोटा	1563/05-06-2015
10.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलाखेडा	1564/05-06-2015
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निजामडी	1568/22-06-2015
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोरबा	1569/22-06-2015
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवधर राजपुरा	1570/22-06-2015
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोहार्दा	1572/23-06-2015
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजवाड़	1573/23-06-2015
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कलवार	1574/23-06-2015
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रेवाडी	1575/30-06-2015
18.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बामनी बुजुर्ग	1576/30-06-2015
19.	शिवशक्ति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिलवानी	1577/01-07-2015
20.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमलावती	1586/29-07-2015
21.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खल	1587/29-07-2015
22.	कौंसर साख सहकारी संस्था मर्या., देवास	1591/01-08-2015
23.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निवान्या	1594/06-08-2015
24.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तुमडावदा	1595/06-08-2015

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्थाओं को परिसमापन में लाने से पूर्व इस ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(204-A)

देवास, दिनांक 23 फरवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,

(अधोलिखित संस्थाएं)

(द्वारा :- संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष)

क्र./परि./2016/433.—निर्वाचन कक्ष द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2016 को अवगत कराया गया है कि अधोलिखित संस्थाओं को पंजीयन के पश्चात् 120 दिवस में निर्वाचन कराने के लिये निर्देशित किया गया था. परन्तु उक्त संस्थाओं द्वारा पंजीयन के पश्चात् आज दिनांक तक निर्वाचन कराने के लिये आवेदन नहीं किया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था

अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था उनकी पूर्ति पंजीयन दिनांक से नहीं की जा रही है. ऐसी संस्थाओं की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1.	2.	3.
1.	गंगाधारा आदिवासी विस्थापित मछुआ सहकारी संस्था मर्या., रोहन्या	1300/19-03-2013
2.	श्री ओम सांईराम आदिवासी विस्थापित मछुआ सह. संस्था मर्या., सुरलाय	1301/19-03-2013
3.	जय माँ नर्मदे मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., चांदगढ़	1375/10-09-2013
4.	आशा साख सहकारी संस्था मर्या., देवास	1492/09-10-2014
5.	जय श्री बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुनवानीगोपाल	1525/29-11-2014
6.	श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दीपगांव	1526/26-12-2014
7.	आदर्श किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अजनास	1528/26-12-2014
8.	माँ क्षिप्रा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुमारिया	1532/19-01-2015
9.	माँ वसुंदधरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कमलापुर	1541/28-01-2015
10.	अनंत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दावठा	1545/16-02-2015
11.	ऋषि महाराज बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ासोमा	1546/16-02-2015
12.	मयूर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महूखेडा	1549/27-02-2015
13.	मेंढकीचक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेंढकीचक	1550/27-02-2015
14.	श्री बलदाऊ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सामगी	1552/07-03-2015
15.	श्री विनायक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विक्रमपुर	1553/07-03-2015
16.	बाबा महाकाल मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सतवास	1554/13-03-2015
17.	नागर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यां., गुनाई	1558/18-03-2015
18.	शिवकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नांदेल	1562/26-05-2015
19.	दुर्गापुरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुर्गापुरा	1565/26-05-2015
20.	कंचन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पत्थरगुराड़िया	1579/13-07-2015
21.	धर्मेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सतवास	1580/16-07-2015
22.	माँ रेवा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अजनास	1581/16-07-2015
23.	अनंत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छापरी	1584/22-07-2015
24.	बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौबारा जागीर	1585/22-07-2015
25.	सक्षम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रंधनखेडी	1590/01-08-2015
26.	श्री देव कृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आगुर्ली	1592/03-08-2015
27.	सम्मग बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिछी	1593/06-08-2015
28.	रामस्नेही बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गाड़ागांव	1598/06-10-2015
29.	श्री बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्यारसपुरा	1599/06-10-2015

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्थाओं को परिसमापन में लाने से पूर्व इस ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से

30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

के. एन. त्रिपाठी,
उपायुक्त सहकारिता.

(204-B)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला दमोह

दमोह, दिनांक 11 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/104.— तिलहन सहकारी समिति मर्या., बोरीखुर्द, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 481, दिनांक 25 जून, 1996 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाऐं, दमोह द्वारा पत्र क्र./अंकेक्षण/34, दिनांक 03 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करे, लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, दमोह में समय 2.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. के. त्रिपाठी,
सहायक पंजीयक.

(205)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

श्री राम साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन, तहसील व जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक 1786, दिनांक 10 मार्च, 2014 (संपरिवर्तित) को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1592, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. महाजन, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 05 जनवरी, 2016 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई. जिसमें आगामी दो वर्षों की कार्यायोजना बनाकर संस्था को पुनर्जीवित हेतु निर्णय लिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगोन मध्यप्रेदश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह/1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा अधिनियम, 69 (4) के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में श्री राम साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन, तहसील व जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक 1786, दिनांक 10 मार्च, 2014 निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है.

1. समिति की प्रस्तुत कार्यायोजना अनुसार अपना कार्य 3 माह में व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से कार्यालय को अवगत कराएगी.
2. समिति प्रत्येक वित्तिय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह की भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तिय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय को अनिवार्यत: प्रस्तुत करेगी.
3. समिति की तद्र्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी.
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.
5. समिति की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी.
6. समिति की नामांकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने तक श्री आर. के. महाजन, सहकारी निरीक्षक के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी.

संस्था की विशेष आमसभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निम्नांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह हेतु नामांकित की जाती है, जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी.

नामांकित कार्यकारिणी—

1.	श्री मनोज गोयल	अध्यक्ष
2.	श्री पवन सत्यनारायण गोले	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति वर्षा पति मनोज गोयल	संचालक
4.	श्री अवधेश राम विलास तिवारी	संचालक
5.	श्री प्रदीप उमरावसिंह जिलवाने	संचालक
6.	श्रीमति राधिका अशोक महाजन	संचालक
7.	श्री विनोद रामसिंह जिलवाने	संचालक
8.	श्री संजय सत्यनारायण गोले	संचालक
9.	श्री गौरीशंकर पूनमचंद कुशवाल	संचालक
10.	श्री नरेन्द्र मंगत पाटीदार	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(206)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी सोसाइटी, जिला धार

धार, दिनांक 23 फरवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

श्री मणिभद्रवीर साख सहकारी संस्था मर्या., बदनावर

प्रथम तल, राज इन्टरप्राईजेस के उपर,

तहसील के सामने चौपाटी, तह. बदनावर, जिला धार (म.प्र.).

क्र./परि./2016/325.—श्री मणिभद्रवीर साख सहकारी संस्था मर्या., बदनावर, तह. बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1590, दिनांक 13 अप्रैल, 2015 है, कार्यालयीन जानकारी अनुसार संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. प्राप्त जानकारी अनुसार संस्था द्वारा निम्न प्रकार की त्रुटियां/अनियमितताएं की गईं है:-

1. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न नहीं करवाये.
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर कार्यरत् नहीं है.

इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है. अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होगा.

अतएव मैं ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाऐं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के

आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस संबंध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 10 मार्च, 2016 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(207)

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) , सहकारी संस्थाऐं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1.	माँ रेवा रेत खादन सह. संस्था, मुरझाल	805/03-05-1996	2166/31-12-2015
2.	नोबल मुद्रणालय सह. संस्था, देवास	843/17-12-1997	2168/31-12-2015
3.	गरीब नवाज यातायात सह. संस्था, देवास	188/17-07-1995	548/28-02-2014
4.	मनीराईस साख सह. संस्था, देवास	20/04-02-2014	266/10-02-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाऐं ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

धर्मेन्द्र मालवीय,
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(208)

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) , सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1.	भास्कर प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., देवास	46/04-02-2014	370/16-02-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाऐं ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

डी. के. आर्य,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(209)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार श्री कृष्णा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., शमशाबाद के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 07 मार्च, 2011 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये श्री कृष्णा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., शमशाबाद को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, श्री कृष्णा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., शमशाबाद, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./777, दिनांक 07 मार्च, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत श्री कृष्णा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., शमशाबाद को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि श्री कृष्णा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., शमशाबाद विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210)

विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार नरेन जलाशय मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 30 अगस्त, 2010 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन

सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये नरेन जलाशय मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, नरेन जलाशय मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./761, दिनांक 30 अगस्त, 2010 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत नरेन जलाशय मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि नरेन जलाशय मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24 फरवरी, 2006 को जारी करता हूँ.

(210-A)

विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार कृष्णा महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 02 जनवरी, 2004 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये कृष्णा महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, कृष्णा महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./672, दिनांक 02 जनवरी, 2004 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कृष्णा महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि कृष्णा महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी संस्था मर्या., विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-B)

विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मांझी महिला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 21 अक्टूबर, 2009 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन

सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये मांझी महिला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मांझी महिला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./749, दिनांक 21 अक्टूबर, 2009 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मांझी महिला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि मांझी महिला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-C)

विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार आदर्श चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 29 जुलाई, 1974 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये आदर्श चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, आदर्श चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./503, दिनांक 29 जुलाई, 1974 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत आदर्श चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि आदर्श चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-D)

विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार श्री सुभाष चंद बोस हरिजन सहकारी संस्था मर्या., चोड़ाखेड़ी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 16 मार्च, 1995 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक

मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये श्री सुभाष चंद बोस हरिजन सहकारी संस्था मर्या., चोड़ाखेड़ी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, श्री सुभाष चंद बोस हरिजन सहकारी संस्था मर्या., चोड़ाखेड़ी, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./526, दिनांक 16 मार्च, 1995 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत श्री सुभाष चंद बोस हरिजन सहकारी संस्था मर्या., चोड़ाखेड़ी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि श्री सुभाष चंद बोस हरिजन सहकारी संस्था मर्या., चोड़ाखेड़ी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-E)

विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सिलपरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 02 मार्च, 2000 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सिलपरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सिलपरी , पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./590, दिनांक 02 मार्च, 2000 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सिलपरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सिलपरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-F)

विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., टोरीटिगरा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 11 जुलाई, 2012

से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., टोरीटिगरा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., टोरीटिगरा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./795, दिनांक 11 जुलाई, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., टोरीटिगरा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., टोरीटिगरा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-G)

विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कबूला के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 15 नवम्बर, 1999 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कबूला को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कबूला, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./588, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कबूला को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कबूला विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-H)

विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार श्री सिद्धबाबा हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., जम्बार के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक

13 फरवरी, 1992 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये श्री सिद्धबाबा हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., जम्बार को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, श्री सिद्धबाबा हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., जम्बार, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./421, दिनांक 13 फरवरी, 1992 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत श्री सिद्धबाबा हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., जम्बार को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि श्री सिद्धबाबा हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., जम्बार विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-I)

विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार हरिजन मत्स्योद्योग सहाकरी संस्था मर्या., बरबाई के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 03 मई, 1986 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये हरिजन मत्स्योद्योग सहाकरी संस्था मर्या., बरबाई को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, हरिजन मत्स्योद्योग सहाकरी संस्था मर्या., बरबाई, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./275, दिनांक 03 मई, 1986 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत हरिजन मत्स्योद्योग सहाकरी संस्था मर्या., बरबाई को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि हरिजन मत्स्योद्योग सहाकरी संस्था मर्या., बरबाई विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-J)

विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बरेठा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 28 मार्च, 1985 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बरेठा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बरेठा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./266, दिनांक 28 मार्च, 1985 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बरेठा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बरेठा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-K)

विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार रीनू सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 06 फरवरी, 1999 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये रीनू सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, रीनू सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./585, दिनांक 06 फरवरी, 1999 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत रीनू सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि रीनू सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी संस्था मर्या., विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-L)

विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार भारत महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 29 जनवरी, 1999 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये भारत महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, भारत महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सिरोंज, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./584, दिनांक 29 जनवरी, 1999 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत भारत महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सिरोंज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि भारत महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सिरोंज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-M)

विदिशा, दिनांक 25 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत)

श्री वी. पी. पाटिल, प्रशासक एवं सहकारी निरीक्षक, ने अपने पत्र दिनांक निल में उल्लेख किया है शिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा के पदाधिकारी श्री गोपीलाल नायक द्वारा संस्था का प्रभार प्रदान नहीं किया गया है और न ही संस्था का निर्वाचन करने से भी लिखित में पत्र दिया गया. संस्था को बंद करने का निवेदन किया गया है.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, शिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी. एस./91, दिनांक 19 सितम्बर, 1962 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारिता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 25 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-N)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार सांची ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये सांची ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सांची ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी. एस./701, दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत सांची ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि सांची ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-O)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार श्री किसान एग्रो ओद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 08 अगस्त, 2003 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये श्री किसान एग्रो ओद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, श्री किसान एग्रो ओद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./664, दिनांक 08 अगस्त, 2003 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत श्री किसान एग्रो ओद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि श्री किसान एग्रो ओद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-P)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार विदिशा तेल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 22 अक्टूबर, 1999 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये विदिशा तेल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, विदिशा तेल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./587, दिनांक 22 अक्टूबर, 1999 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत विदिशा तेल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि विदिशा तेल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-Q)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार आदर्श चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., खड़ेर के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 28 जनवरी, 1997 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये आदर्श चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., खड़ेर को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, आदर्श चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., खड़ेर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./552, दिनांक 28 जनवरी, 1997 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत आदर्श चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., खड़ेर को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि आदर्श चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., खड़ेर विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-R)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार अप्सरा महिला रेशम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये अप्सरा महिला रेशम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, अप्सरा महिला रेशम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./661, दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत अप्सरा महिला रेशम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि अप्सरा महिला रेशम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-S)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार विद्देश्वरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 12 अगस्त, 1996 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये विद्देश्वरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, विद्देश्वरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./548, दिनांक 12 अगस्त, 1996 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत विद्देश्वरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि विद्देश्वरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-T)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार विजयाराजे महिला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 17 अगस्त, 1994 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये विजयाराजे महिला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, विजयाराजे महिला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./504 दिनांक 17 अगस्त, 1994 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत विजयाराजे महिला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि विजयाराजे महिला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-U)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार विद्या बिहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 05 नवम्बर, 1965 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये विद्या बिहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, विद्या बिहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./019, दिनांक 05 नवम्बर, 1965 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत विद्या बिहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि विद्या बिहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-V)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 29 सितम्बर, 1981 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./238, दिनांक 29 सितम्बर, 1981 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-W)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार आरती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 11 जून, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये आरती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, आरती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी. एस./558, दिनांक 11 जून, 1998 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत आरती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि आरती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-X)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार राजस्व गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 29 दिसम्बर, 1988 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये राजस्व गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, राजस्व गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./343, दिनांक 29 दिसम्बर, 1988 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत राजस्व गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि राजस्व गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-Y)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार पुलिस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 28 जुलाई, 1987 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये पुलिस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, पुलिस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./310, दिनांक 28 जुलाई, 1987 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत पुलिस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि पुलिस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(210-Z)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार शांति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 23 नवम्बर, 1985 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये शांति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, शांति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./267, दिनांक 23 नवम्बर, 1985 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत शांति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बासौदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि शांति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बासौदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मथुरापुर के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 30 मार्च, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मथुरापुर को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मथुरापुर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./866, दिनांक 30 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मथुरापुर को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मथुरापुर विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-A)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतवाजागीर के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 25 फरवरी, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतवाजागीर को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतवाजागीर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./786, दिनांक 25 फरवरी, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतवाजागीर को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतवाजागीर विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-B)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थाना के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 25 फरवरी, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थाना को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थाना, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./788, दिनांक 25 फरवरी, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थाना को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थाना विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-C)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 10 सितम्बर, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./797, दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-D)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शीलखेड़ा (हरीपुर) के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 25 फरवरी, 2012से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शीलखेड़ा (हरीपुर) को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शीलखेड़ा (हरीपुर), पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./785, दिनांक 25 फरवरी, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शीलखेड़ा (हरीपुर) को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शीलखेड़ा (हरीपुर) विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-E)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रमपुरा जागीर के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 25 फरवरी, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रमपुरा जागीर को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रमपुरा जागीर , पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./784, दिनांक 25 फरवरी, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रमपुरा जागीर को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रमपुरा जागीर विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-F)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काछीखेड़ा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 11 अगस्त, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काछीखेड़ा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काछीखेड़ा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1018, दिनांक 11 अगस्त, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काछीखेड़ा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काछीखेड़ा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-G)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पट्टन के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 25 जून, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पट्टन को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पट्टन, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1016, दिनांक 25 जून, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पट्टन को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पट्टन विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-H)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शालाखेड़ी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शालाखेड़ी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शालाखेड़ी, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./956, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शालाखेड़ी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शालाखेड़ी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-I)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोरियाखेड़ा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 31 मार्च, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोरियाखेड़ा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोरियाखेड़ा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./790, दिनांक 31 मार्च, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोरियाखेड़ा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोरियाखेड़ा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-J)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुंठा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 20 मार्च, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुंठा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुंठा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1003, दिनांक 20 मार्च, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुंठा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुंठा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-K)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बीलखेड़ी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बीलखेड़ी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बीलखेड़ी, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./967, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बीलखेड़ी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बीलखेड़ी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-L)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरोदा (झगरी) के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरोदा (झगरी) को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरोदा (झगरी), पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./966, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरोदा (झगरी) को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरोदा (झगरी) विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-M)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा माखू के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 12 जून, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा माखू को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा माखू, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1015, दिनांक 12 जून, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा माखू को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा माखू विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-N)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोडावरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 03 जून, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोडावरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोडावरी, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी. एस./1014, दिनांक 03 जून, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोडावरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोडावरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-O)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डंगरवाड़ा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 29 मई, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डंगरवाड़ा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डंगरवाड़ा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./1008, दिनांक 29 मई, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डंगरवाड़ा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डंगरवाड़ा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-P)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पूनाखेड़ी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 18 सितम्बर, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पूनाखेड़ी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पूनाखेड़ी, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./887, दिनांक 18 सितम्बर, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पूनाखेड़ी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पूनाखेड़ी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-Q)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धामनोद के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 08 अगस्त, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धामनोद को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धामनोद, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./934, दिनांक 08 अगस्त, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धामनोद को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धामनोद विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-R)

विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पथरई के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 16 मार्च, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पथरई को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पथरई, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./997, दिनांक 16 मार्च, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पथरई को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पथरई विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-S)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हफीजपुर खोना, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 20 नवम्बर, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हफीजपुर खोना, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हफीजपुर खोना, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी. एस./1026, दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हफीजपुर खोना, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 29 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हफीजपुर खोना, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-T)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलाखेड़ी, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 22 अगस्त, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलाखेड़ी, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलाखेड़ी, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी. एस./1021, दिनांक 22 अगस्त, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलाखेड़ी, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 29 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलाखेड़ी, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-U)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार जय भारत मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., गरेंठा, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 22 अगस्त, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये जय भारत मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., गरेंठा, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, जय भारत मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., गरेंठा, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी. एस./1022, दिनांक 22 अगस्त, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत जय भारत मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., गरेंठा, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 29 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि जय भारत मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., गरेंठा, तहसील सिरोंज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-V)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हुसेनपुर, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 22 अगस्त, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हुसेनपुर, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हुसेनपुर, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी. एस./1020, दिनांक 22 अगस्त, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हुसेनपुर, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 29 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हुसेनपुर, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-W)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टोंका, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 14 अगस्त, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टोंका, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टोंका, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी. एस./1019, दिनांक 14 अगस्त, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टोंका, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 29 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टोंका, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-X)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 29 मई, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी. एस./1012, दिनांक 29 मई, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 29 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय

के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(211-Y)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोलुआ धामनोद, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 29 मई, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोलुआ धामनोद, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोलुआ धामनोद, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी. एस./1011, दिनांक 29 मई, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोलुआ धामनोद, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 29 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोलुआ धामनोद, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(211-Z)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2016-फाल्गुन 28, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

2. **जुताई.**— जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, सतना, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, मंदसौर, शाजापुर, देवास, झाबुआ, भोपाल, सीहोर, जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी, सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला होशंगाबाद में फसल गेंहू चना व कटनी में चना, मसूर, अलसी, गेहूँ व डिण्डोरी में गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर व श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, सतना, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, धार, इन्दौर, खरगौन, भोपाल, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला होशंगाबाद, मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट में फसल धान व पन्ना, अनूपपुर, सीधी व सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, नीमच, देवास, झाबुआ, रायसेन, जबलपुर, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		उड़द, मूँग, सोयाबीन, मूंगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		कपास, गन्ना.		
			(2) . .		
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		मूँगफली समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		(2) . .		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, गन्ना अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गन्ना, चना, राई-सरसों, मटर .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) तिल-अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, गेंहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर+बटरी, आलू, प्याज.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) ज्वार, तुअर, गेहूं, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) तुअर, गेहूं, चना, मसूर अलसी, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
***जिला रीवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. त्यौंथर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हुजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) धान, मक्का, कोदो कुटकी, सोयाबीन, तुअर, उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. गोहपारु	. .				
4. जैसिंहनगर	. .				
5. बुढार	. .				
6. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) धान, तुअर, कोदो कुटकी, राई, अलसी, चना, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) मक्का, ज्वार, तिल, को. कुटकी, मूँगफली, तुअर, बाजरा, अधिक. मूँग, उड़द, रामतिल, सोयाबीन, राई-सरसों अलसी, गेहूँ, चना, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .		
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) चना, अलसी, राई, सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
***जिला सिंगरौली :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) चना, सवा अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, अधिक. तिल, तुवर, मूंगफली कम. उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गन्ना अधिक. कपास कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) मक्का, मूँगफली, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		ज्वार, बाजरा, उड़द, कपास, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .		(2) . .		
4. सोण्डवा	. .				
5. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. कपास. मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .		(2) . .		
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		अलसी, राई-सरसों अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	. .		(2) . .		
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
***जिला खण्डवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तुअर, तेवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		मटर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
			(2) . .		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) ज्वार, सोयाबीन, मक्का, कोदों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		तुअर, उड़द, मूंग, तिल, मूँगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		अधिक. गन्ना कम.		
4. गौहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
***जिला बैतूल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ, चना की	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .	बोनी व धान की कटाई	4. (1) धान, सोयाबीन, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .	का कार्य चालू है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) धान अधिक. मूंग, उड़द, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		तिल, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .		(2) . .		
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना, मसूर,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	अलसी, गेहूँ की बोनी	4. (1) धान, तुअर, ज्वार, अलसी, राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .	का कार्य चालू है.	चना, गेहूँ.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	. .		(2) . .		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, उड़द, गन्ना, मूँग.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) मक्का, सन, तिल, धान, उड़द, तुअर, कोदों-कुटकी, सोयाबीन. समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ, चना, अलसी,मटर, मसूर, की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांढुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हर्रई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा राई सरसों, अलसी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला रीवा, सिंगरौली, बड़वानी, खण्डवा, राजगढ, बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(196)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.